21.02.2022

सोनादेवी बनाम राधादेवी वगैरह

पत्रावली पेश हुई। वाकिल वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की जैर वाद कृषि भूमि वाके रोही ग्राम आसेरा तहसील व जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 285 तादादी 7.0800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 286 तादादी 6.2700 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 13.3500 हैक्टयर कृषि भूमि मे प्रतिवादी सख्या 2 स्व. मोडाराम के वारिसान का 1/2 सयुक्त व अविभाजित हक व हिस्सा है। वादिया का उक्त कृषि भूमि मे 3.2800 हैक्टयर सयुक्त व अविभाजित हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 का 3.4000 हैक्टयर सयुक्त व अविभाजित हक व हिस्सा है। जैरवाद कृषि भूमि के संबध मे पूर्व मे पक्षकारान के मध्य सहमति नही होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष वादिनी द्वारा पेश किया गया है। हम पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर व आपसी समझाईस से राजीनामा की और अग्रसर होकर उक्त राजीनामा परस्पर सहमति से पेश कर रहे है। राजीनामा के मुताबिक हिस्सा व आसे पासे पैरा सख्या 4 में अंकित किये जा रहे है। उक्त जैरवाद कृषि भूमि के खसरा नम्बर 285 तादादी 7.0800 हैक्टयर कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 मोडाराम के वारिसान में इमरताराम पुत्र स्व. मोडाराम को कायम मुकाम पक्षकार संख्या 2/1 बनाया गया है जिसका कब्जा काश्त है। स्व. मोडाराम के शेष वारिसान द्वारा अपना अपना हिस्सा जरिये रिलीज डीड के स्व. मोडाराम के वारिस इमरताराम के नाम से हक त्याग कर दिये जाने से उक्त खसरा नम्बर 285 तादादी 7.0800 हैक्टयर का तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार इमरताराम है जिसका नामान्तकरण भी इमरताराम के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर 285 के संबंध में सम्पूर्ण हिस्सा एवं लगान के संबंध में इमरताराम के नाम से दावा डिक्री किया जाता है तो शेष हिस्सेदारान को किसी प्रकार का कोई एतराज व आपति नही होगी। उक्त जैरवाद कृषि भूमि के खसरा नम्बर 286 तादादी 6.2700 हैक्टयर कृषि भूमि के उतरी तरफ की तादादी 3.4000 हैक्टयर कृषि पर प्रतिवादी संख्या 1 राधादेवी का कब्जा काश्त है। उक्त कब्जा काश्त में अन्य किसी सह खातेदार का कोई हस्तक्षेप कब्जा आदि नही है। उक्त खसरा नम्बर 286 के उतरी तरफ की तादादी 3.4000 हैक्टयर कृषि भूमि के खाता एवं लगान विभाजन की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से जारी की जाती है तो शेष हिस्सेदारान को किसी प्रकार का कोई एतराज व आपति नही होगी। खसरा नम्बर 286 तादादी 6.2700 हैक्टयर कृषि भूमि के दक्षिण की तरफ की तादादी 3.2800 हैक्टयर कृषि भूमि पर वादिनी सोनादेवी का कब्जा काश्त है उक्त कब्जा काश्त में अन्य किसी सह–खातेदार का कोई हस्तक्षेप, कब्जा आदि नही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की विभाजन डिक्री वादिनी के नाम जारी की जाती है तो हम पक्षकारान को किसी प्रकार की कोई आपति नही है।

हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्व. मोडाराम प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान के द्वारा अपना–अपना हिस्सा जरिये रिलीजडीड मोडाराम के वारिस ईमरताराम के नाम से हक त्याग कर दिया गया है। पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजीनामा तस्दीक किया जाता है। वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम आसेरा के खेत खसरा नं. 285 में तादादी 7.0800 हेक्टेयर, सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2/1 इमरताराम, खसरा नं. 286 में कुल तादादी 6.2700 हेक्टेयर मेंसे उत्तरी तरफा का हिस्सा तादादी 3.4000 हैक्टयर राधादेवी, खसरा नं. 286 में तादादी 3.2800 हेक्टेयर दक्षिण की तरफ वादिनी सोनादेवी का राजीनामा के आधार पर उक्त कुल तादादी 13.3500 हैक्टयर कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री प्रति तहसीलदार (भू.अ.) बीकानेर को इस आशय के साथ भिजवायी जा[illegible] करते हुए मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर नक्शा में [illegible] रगं भरकर व लगान कायम कर दो–दो प्रतियों में [illegible] जाकर। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:08:46 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दू खत्री)
सहायक कलक्टर,
बीकानेर शहर